

न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 341/2020 आवंटन निरस्त

- | | | |
|---|------|---|
| 1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार
भीलवाड़ा | बनाम | 1. जगदीश पिता मेघा एवं रेखा पत्नी
जगदीश कुमावत निवासी केसरपुरा
तहसील भीलवाड़ा |
|---|------|---|

—प्रार्थी

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित —

1. राजकीय अधिवक्ता — प्रार्थी की ओर से
2. विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं — एक तरफा कार्यवाही



निर्णय

दिनांक 18.11.2020

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरुद्ध विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम केसरपुरा पटवार हल्का सैथूरिया की आ.न. 2131/617 रकबा 1.00 बीघा भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटनी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटनी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटनी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे।

प्रस्तुत निगरानी न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा में दिनांक 12.04.2019 को दायर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी बावजूद सम्मन तामील के उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक 6641 दिनांक 30.06.2020 से पत्रावली इस न्यायालय में स्थानान्तरित करते हुये उभयपक्षकारान् को अपनी उपस्थिति न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा में दिनांक 08.07.2020 को देने हेतु सूचित किया गया। प्रार्थना पत्र दिनांक 01.07.2020 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी को ग्राम केसरपुरा पटवार हल्का सैथूरिया की आ.न. 2131/617 रकबा 1.00 बीघा भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटनी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटनी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

5

आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि पटवार हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम केसरपुरा के आ.न. 2131/617 रकबा 1.00 बीघा भूमि मौके पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गयी है। उक्त विवेचन अनुसार आवंटी द्वारा राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) की पालना नहीं की जाना स्पष्ट होता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव—

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) बाबत भू-आवंटन निरस्तीकरण का स्वीकार कर जगदीश पिता मेघा व रेखा पत्नी जगदीश कुमावत सा. देह के नाम आवंटित ग्राम केसरपुरा के आराजी नं. 2131/617 रकबा 1.00 बीघा भूमि आवंटन को खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार भीलवाड़ा को निर्देश दिये जाते हैं कि ग्राम केसरपुरा की आ.न. 2131/617 रकबा 1.00 बीघा भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार भीलवाड़ा को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राकेश कुमार)
अति जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा